

## स्थानान्तरण-आदेश

शासनादेश संख्या-2/2017/1/3/96-का0-4-2017 दिनांक 03.05.2017 द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु जारी स्थानान्तरण नीति के क्रम में तात्कालिक प्रभाव से दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के नियंत्रणाधीन विभिन्न क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में तैनात समूह 'ग' के अनुदेशकों/क्षेत्रीय सहायक/सहायिका को एतद् द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-5 में अंकित क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती संस्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	शैलेन्द्र सिंह	अनुदेशक	जि0ग्रा0वि0सं0, उन्नाव	क्षे0ग्रा0वि0सं0 कालाकांकर प्रतापगढ़	जनहित में
2	मोतीलाल द्विवेदी	अनुदेशक	जि0ग्रा0वि0सं0 कानपुर	जि0ग्रा0वि0सं0, उन्नाव	जनहित में
3	रमाशंकर सचान	अनुदेशक	क्षे0ग्रा0वि0सं0 बकेवर इटावा	जि0ग्रा0वि0सं0 कानपुर	स्वयं के अनुरोध पर
4	प्रेमलता श्रीवास्तव	क्षेत्रीय सहायक (महिला)	क्षे0ग्रा0वि0सं0 गोरखपुर	जि0ग्रा0वि0सं0 बस्ती	स्वयं के अनुरोध पर
5	रवीन्द्र सिंह	अनुदेशक	जि0ग्रा0वि0सं0 शाहजहाँपुर	क्षे0ग्रा0वि0सं0 बदायूं	स्वयं के अनुरोध पर
6	धर्मेन्द्र सिंह	अनुदेशक	क्षे0ग्रा0वि0सं0 सहारनपुर	जि0ग्रा0वि0सं0 बिजनौर	स्वयं के अनुरोध पर
7	राजीव कुमार	अनुदेशक	जि0ग्रा0वि0सं0 बिजनौर	जि0ग्रा0वि0सं0 मुरादाबाद	स्वयं के अनुरोध पर
8	विनय कुमार सिन्हा	अनुदेशक	जि0ग्रा0वि0सं0 बाराबंकी	क्षे0ग्रा0वि0सं0 बी0के0टी0 लखनऊ	स्वयं के अनुरोध पर

उक्त अनुदेशकों/क्षेत्रीय सहायक/सहायिकाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें। स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये अनुदेशकों/क्षेत्रीय सहायक/सहायिकाओं को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(कुमार अरविन्द सिंह देव)  
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,  
बख्शी का तालाब, लखनऊ ।

पत्रांक-1476/प्रशि0/स्था0/अनुदेशक/2017-18

दिनांक 27 जून, 2017

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित अनुदेशक/क्षेत्रीय सहायिका को द्वारा सम्बन्धित आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारी क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बकेवर-इटावा, गोरखपुर, सहारनपुर, आसफपुर-बदायूं, बी0के0टी0 लखनऊ, कालाकांकर प्रतापगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, बस्ती, उन्नाव, बाराबंकी, बिजनौर।
2. सम्बन्धित आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारी, क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित अनुदेशकों/क्षेत्रीय सहायक/सहायिका को नवीन तैनाती स्थल हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ, मुरादाबाद, उन्नाव, बिजनौर, प्रतापगढ़, कानपुर, बाराबंकी, शाहजहाँपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, इटावा, बस्ती, बदायूं।
4. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ, मुरादाबाद, उन्नाव, बिजनौर, प्रतापगढ़, कानपुर, बाराबंकी, शाहजहाँपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, इटावा, बस्ती, बदायूं।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ, मुरादाबाद, उन्नाव, बिजनौर, प्रतापगढ़, कानपुर, बाराबंकी, शाहजहाँपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, इटावा, बस्ती, बदायूं।
6. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, संस्थान।
7. संयुक्त विकास आयुक्त, सम्बन्धित मण्डल।
8. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
9. आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वें तल जवाहर भवन, लखनऊ।
10. विभागीय गार्ड फाइल।

(डॉ० डी० सी० उपाध्याय)  
संयुक्त निदेशक